बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग।

प्र0-1/ल0ज0स0/स्था0 (राज0) कोर्टकेश 256/2007 /पटना,दिनांक-

प्रेषक,

गोपाल कृष्ण परमहंस
सरकार के अपर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः- स्व0, राजेश्वर प्रसाद सेवा निवृत सहायक अभियंता को सी0डब्लू0जे0सी0सं0 9108/07 में दिनांक- 06.04.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में लंबित उपादान राशि का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंगः- आपका पत्रांक-6579 दिनांक-04.01.06 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 06.04.2012 को पारित न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि स्व0 राजेश्वर प्रसाद के उपादान की कुल देय राशि में से 1,15,100/- (एक लाख पंद्रह हजार एक सौ) रू0 घटाकर शेष राशि का प्राधिकार पत्र आपके द्वारा निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में काटी गई राशि 1,15,100/- का प्राधिकार पत्र निर्गत कर विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध कराई जाय। प्रस्ताव पर विधि विभाग का परामर्श/ सहमति प्राप्त है। (संचिका सं0 256/2007) चुंकि अब यह मामला अवमाननावाद सं0 /2013 से आच्छादित है। अतएव इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
(गोपाल कृष्ण परमहंस)
सरकार के अपर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- /पटना,दिनांक-

प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, प्रभारी विधि शाखा लघु जल संसाधन विभाग पटना/ अधीक्षण अभियंता, गया को उनके पत्रांक 243 दिनांक-5.4.14 के प्रसंग में/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया/श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव, पति स्व0 राजेश्वर प्रसाद सेवा निवृत सहायक अभियंता मो0-आजादनगर, बलुआ टाल, ग्राम+पो0-मोतिहारी जिला- पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 2639 /पटना,दिनांक- 5.6.14

प्रतिलिपिः-आई0टी0मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

d:\tc-4\osd-2\type section\new letter.docx